सीसीटीएनएस /E-Mail

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग लखनऊ -226016

पत्रांक-टीएस- सीसीटीएनएस-87/2014 दिनांक:जुलाई 07 ,2014

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक/ पुलिस प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः— कोर एप्लीकेशन साफटवेयर में प्रयोग हो रहे फार्मों का प्रिन्ट आउट निकालकर एफ0आई0आर0 इत्यादि की प्रति शिकायत कर्ता एवं न्यायालय में प्रदान किये जाने विषयक।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी द्वारा बनाये गये इन्टीग्रेटेड इन्वेस्टीगेशन फार्मों को लागू किये जाने हेतु शासनादेश संख्याः 5974/ छः—पु0—7—94/ 92 दिनांकः 10—12—1997 के द्वारा नोटीफाइड किया गया हैं, शासनादेश सहित नोटीफाइड फार्मो की छायाप्रति ई—मेल के माध्यम से दिनांकः 12—05—2014 एवं 04—07—2014 को प्रेषित की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की बेबसाइट **[https://uppolice.gov.in/]** पर CCTNS Menu के Sub menu CCTNS Circulars में सुलभ सन्दर्भ हेतु अपलोड की गयी है जहाँ से आप नोटीफाइड फार्मों को डाउनलोड कर सकते हैं।

2— उल्लेखनीय है कि सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत इन्हीं फार्मों का समावेश एनसीआरबी द्वारा किया गया है, इसलिए इन फार्मों पर एफ0आई0आर0 व अन्य कार्यवाही किये जाने में किसी प्रकार की विधिक बाधा प्रतीत नहीं हो रही है। कोर एप्लीकेशन साफटवेयर को सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये कम्प्यूटरों पर एनआईआईटी के द्वारा इन्स्टाल भी किया जा चुका है। जिसके सफल कियान्वयन हेतु पुलिस कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

3— अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत प्रयोग हो रहे कोर एप्लीकेशन साफटवेयर से उक्त शासनादेश के सापेक्ष प्रिन्ट आउट निकालकर एफ0आई0आर0 इत्यादि की प्रति शिकायत कर्ता एवं न्यायालय में प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसी सम्बन्ध में इस मुख्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांकितः 12—05—2014 अवलोकनीय है।

Neh 7/7/14
(नेहा पाण्डेय)
पुलिस अधीक्षक,
तकनीकी सेवायें, उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2— पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3— पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
4— पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5— पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, महानगर लखनऊ।
6— पुलिस अधीक्षक, रेलवे, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
7— प्रभारी सीसीटीएनएस को बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।